न्यायालय सहायक कलेक्टर डोविया

जयाराम बनाम सन्तोषराम वगैरा

210/2019 212RTA

3/2/19

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कहा कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील बागिणी के राजस्व ग्राम नादा पटवार हल्का बेदू के खेत खसरा संख्या 96/7 रकबा 120 बीघा 12 बिस्वा भूमि आयी हुई है की भूमि है जिसका राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में विभाजन किया हुआ नही है तथा न ही राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग अलग हिस्से दर्ज किये हुए है लेकिन बावजूद इसके अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में अपनी मनमर्जी से हिस्सा दर्शाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि के पड़ौस दर्शाकर बेचान करने तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आमदा है व वादग्रस्त भूमि की अच्छी व कीमति भूमि पर जबरन कब्जा करने हेतु आमदा है। अप्रार्थीगण मजबूत व राजनीति पहुच के व्यक्ति है इसलिए बाहुबल के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल कर बेचान करने हेतु आमदा है यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की कब्जा काश्त सुदा भूमि का बिना विभाजन करवाये बेचान कर दिया तथा प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रुपयो पैसो में किया जाना असम्भव होगा । वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी [illegible] का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया [illegible] वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व [illegible] खातेदारी की भूमि है जिसका राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में [illegible] विभाजन किया हुआ नही है तथा न ही राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से हिस्से ही दर्ज है इसलिए दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को खुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:30:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर डोविया

Scanned by CamScanner

बुर्द होने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम भादा पटवार हल्का बेदू के खेत खसरा सख्या 96/7 रकबा 120 बीघा 12 बिश्वा भूमि की आगामी तारीख पेशी तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते ईन्तजार तलबी दिनॉक 10/4/19 को पेश हो।

[illegible] कलेक्टर [illegible]

10/4/19 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थीगण के नोटिस लौटे नहीं पुनः जारी हो तब तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, मिसल वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 12/6/19 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। आज [illegible] अधिकारी [illegible] घनर्स/प्रबन्धक [illegible] में व्यस्त होने से पेशी इलतवा की जाकर पत्रावली दिनांक ....को पेश हो। [illegible]

12/6/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। मूल वाद [illegible] पूर्व में ही खारिज [illegible] किया जा चुका है। अत: प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अत: प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। मिसल दफ्तर दाखिल होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:30:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner